न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायर	निर्णय दिनांक
1 / 195	23.05.2025	23.09.2025

बउनवान

01. ऊषा देवी पत्नी स्व० श्री घनश्याम पुत्र वधु स्व० लल्लू
02. दिवाकर पुत्र स्व० श्री घनश्याम पोत्र स्व० लल्लू जाति जांगडा ब्राह्मण निवासीयान ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज० हाल निवासी राष्ट्रीय नगर, मीना वाला, बजरी मण्डी रोड पाच्या वाला जयपुर
03. शिवानी पुत्री स्व० घनश्याम पत्नी श्री कुलदीप पोत्री स्व0 लल्लू, जाति जांगडा ब्राह्मण हाल निवासी पथरोडा का बास बख्तल की चौकी, तहसील व जिला अलवर राज०

वादीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर कार्यालय मिनि सचिवालय, सरस डेयरी के पास भतानी तोप सर्किल अलवर राज०
02. राजस्थान सरकार तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राज0

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वकील वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 771 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 772 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 773 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 774 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, 775 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 776 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 777 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, 778 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 783 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, 784 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, 785 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल खसरा 11 रकबा 1.5000 हैक्टेयर खाता संख्या नया 698 वाके ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज० में स्थित है। उक्त आराजी के 1/4 हिस्सा लल्लू पुत्र ओमकार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। लल्लू पुत्र ओमकार का स्वर्गवास दिनांक 09.02.1992 को हो चुका है जिसके परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

लल्लू

चमेली (मृतक पत्नी) घनश्याम (मृतक का पुत्र)

ऊषादेवी (पत्नी वादी सं01) दिवाकर (पुत्र वादी सं0 2) शिवानी (पुत्र वादी संख्या सं03)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

उक्त सजरे से अदालत श्रीमान को रोशन होगा कि लल्लू के एक पत्नी चमेली थी व एक पुत्र घनश्याम था। पत्नी चमेली का स्वर्गवास दिनांक 14.06.1995 एवं पुत्र घनश्याम का स्वर्गवास दिनांक 30.04.2017 को चुका है। मिन वादी संख्या 1 मृतक घनश्याम की पत्नी व खातेदार लल्लू की पुत्र वधु है एवं वादी संख्या 2 व 3 मृतक घनश्याम के पुत्र व पुत्री अर्थात खातेदार लल्लू के पोत्र व पोत्री है। मिन वादीगण उपरोक्तानुसार मृतक खातेदार लल्लू के जायज व वारियान है तथा मिन वादीगण के अलावा अन्य कोई वारिस मृतक खातेदार लल्लू के नहीं है। उपरोक्त वर्णित आराजी मिन वादीगण को मृतक लल्लू से विरासत में प्राप्त हुई है और मिन वादीगण लल्लू की खातेदारी में दर्ज उपरोक्त आराजी पर बतौर वारिस काबिज जायदाद है और काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। मृतक लल्लू का विरासत इंतकाल दर्ज कराने हेतु मिन वादी संख्या 2 ने आवेदन किया जिसका आवेदन संख्या 2024/9474/154 है किन्तु मिन वादीगण के नाम आज तक नामांतकरण दर्ज व स्वीकार नही किया है। मिन वादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार से दिनांक 20.09.2024 को सम्पर्क कर उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए वादीगण के नाम नामांतकरण स्वीकार कराने हेतु निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार मालाखेडा द्वारा मौखिक रूप से उक्त आवेदन खारिज कराने का आदेश सुनाया है और कहा कि अदालत के आदेश से ही तुम्हे राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज किया जावेगा। इसलिए यह वाद पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।मिन वादीगण मृतक लल्लू के जायज व कानूनी वारिसान है तथा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में मिन वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज नहीं होने से मिन वादीगण के हकूको पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है कि वो उपरोक्त वर्णित आराजीवादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा ना करे ना ही वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा ना करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया कि वादीगण अपना नाम बतौर खातेदार व काश्तकार वारिसान लल्लू के दर्ज करवाते है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। वकील वादी ने साक्ष्य गवाह में उषा देवी पत्नी स्व. घनश्याम का हलफनामा पेश किया। वकील वादी द्वारा साक्ष्य प्रदर्श अंकन व गवाह के बयान करवाये गये।

पत्रावली मे उभयपक्ष की फाइनल बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वाद पत्र मे वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 771 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 772 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 773 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 774 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, 775 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 776 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 777 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, 778 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 783 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, 784 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, 785 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल खसरा 11 कुल रकबा 1.5000 हैक्टेयर खाता संख्या नया 698 वाके ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज० में स्थित है। उक्त आराजी के 1/4 हिस्सा लल्लू पुत्र ओमकार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वकील वादी की ओर से वाद पत्र मे प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र (लल्लु, चमेली, घनश्याम), वारिसान जॉच रिपोर्ट, जमाबन्दी सम्वत् 2070–2075 पेश की गयी। मुताबिक दस्तावेज लल्लू पुत्र ओमकार का स्वर्गवास दिनांक 09.02.1992 को हो चुका है जिसके परिवार के सजरे के मुताबिक लल्लू के एक पत्नी चमेली थी व एक पुत्र घनश्याम था। पत्नी चमेली का स्वर्गवास दिनांक 14.06.1995 को हो एवं पुत्र घनश्याम का स्वर्गवास दिनांक 30.04.2017 को चुका है। वादी संख्या 1 मृतक घनश्याम की पत्नी व खातेदार लल्लू की पुत्र वधु है एवं वादी संख्या 2 व 3 मृतक घनश्याम के पुत्र व पुत्री अर्थात खातेदार लल्लू के पोत्र व पोत्री है। वादीगण उपरोक्तानुसार मृतक खातेदार लल्लू के जायज वारिसान है तथा वादीगण के अलावा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

अन्य कोई वारिस मृतक खातेदार लल्लू के नहीं है। दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खाता संख्या नया 698 पुराना खाता संख्या–1044 आराजी खसरा संख्या 771 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 772 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 773 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 774 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, 775 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 776 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 777 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, 778 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 783 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, 784 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, 785 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 1.5000 हैक्टेयर में लल्लू पुत्र ओमकार दर्ज 1/4 हिस्सा का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है, इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार मालाखेडा को आदेशित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 1 / 195

तारीख दायर 23.05.2025

पर्चा डिक्री दिनांक 23.09.2025

बउनवान

01. ऊषा देवी पत्नी स्व० श्री घनश्याम पुत्र वधु स्व० लल्लू
02. दिवाकर पुत्र स्व० श्री घनश्याम पोत्र स्व० लल्लू जाति जांगडा ब्राह्मण निवासीयान ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज० हाल निवासी राष्ट्रीय नगर, मीना वाला, बजरी मण्डी रोड पाच्या वाला जयपुर
03. शिवानी पुत्री स्व० घनश्याम पत्नी श्री कुलदीप पोत्री स्व0 लल्लू, जाति जांगडा ब्राह्मण हाल निवासी पथरोडा का बास बख्तल की चौकी, तहसील व जिला अलवर राज०

वादीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर कार्यालय मिनि सचिवालय, सरस डेयरी के पास भतानी तोप सर्किल अलवर राज०
02. राजस्थान सरकार तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राज0

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पर्चा डिक्री

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खाता संख्या नया 698 पुराना खाता संख्या–1044 आराजी खसरा संख्या 771 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 772 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 773 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 774 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, 775 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 776 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 777 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, 778 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 783 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, 784 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, 785 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 1.5000 हैक्टेयर में लल्लू पुत्र ओमकार दर्ज 1/4 हिस्सा का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है, इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार मालाखेडा को आदेशित किया जाता है।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर जारी की गयी।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)